


पु. नि. 0/रीवा/2018/01111

न्यायालय गीमान राजगन मप्र न गतानिरास सम्बन्धीत रीवा (म०प्र०)



- 1- अनुराधा गुप्ता पुत्री स्व० हरिशचन्द्र गुप्ता
- 2- वेवा मुन्नी गुप्ता पत्नी स्व० हरिशचन्द्र गुप्ता
- 3- विदेहराज गुप्ता पुत्र स्व० हरिशचन्द्र गुप्ता
- 4- सुधीर गुप्ता पुत्र स्व० हरिशचन्द्र गुप्ता
- 5- धराज गुप्ता पुत्र स्व० हरिशचन्द्र गुप्ता
- 6- सालिकराम गुप्ता पिता स्व० अनुसुइया गुप्ता

उपरोक्त सभी निवासी डेकहा रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
(म०प्र०) —————निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- मानिकलाल गुप्ता तनय स्व० अनुसुइया प्रसाद गुप्ता, उम्र 56 वर्ष,
निवासी मोहल्ला डेकहा, हाल मुकाम मैदानी, तहसील हुजूर, जिला
रीवा (म०प्र०)
- 2- रामचन्द्र गुप्ता पिता स्व० अनुसुइया प्रसाद गुप्ता, निवासी ब्योहारी,
जिला शहडोल (म०प्र०) —————अनावेदकगण

अध्या० श्री राजेन्द्र त्रिपाठी
द्वारा 13-2-18

निगरानी विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील हुजूर के अपील प्रकरण क०-110/ए-
27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक
16/01/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व
संहिता 1959 ई०

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है :-

- 1- यह कि अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/01/18 विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने काविल है ।

23

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... II / निगर / सीवा / 18 / 111 जिला सीवा

अनुराधा गुला वीरुद्ध विरुद्ध मानिकलाल गुला

1	2	3
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील.....के प्रकरण क्रमांक 110) अ. 27) अपील / 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16-1-18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को कलेक्टर सीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p>सदस्य</p>

के कारण निरस्त किये जाने काविल हैं ।